

20/8/24

प्रमाणों में पेश हुई प्रस्तावों के अधिमापक उपस्थित पी.जी.साहू के उपस्थिति पर है। प्रस्तावों को कार्यवाही हेतु दिनांक 4/9/24 को पेश हुए

4/9/24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पत्रकारान उपरो। पत्रावली में जा'पड 0-7 R-1। पत्रावली प्रस्तावकारान प्रस्तुत। पत्रावली को आदेश जा'पड दि. 9/9/24 को पेश है।

9/9/24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पत्रकारान उपरो। वकील पत्रकारान का मूल पत्र वी.पी.साहू के विरुद्ध विवेकाश का है। वकील पत्रकारान का मुख्य अग्रोपक तहसीलदार की माल के आदेश दि. 9-10-15 को जालत, मिष्ठा, भुक्त घोषित करने का है। वकील पत्रकारान अग्रोपक तहसीलदार की माल के आदेश को भुक्त घोषित करने का विवेकन किया है। प्रतिवामी 0-1-107 के वकील न. दोरान कहते हैं कि वकील पत्रकारान का मुख्य अग्रोपक को भुक्त का श्रवण अधिकार व श्रवण अधिकार नहीं है और न ही वकील पत्रकारान को वाद हेतु उपस्थित है।

वकील पत्रकारान का मुख्य अग्रोपक विवेकन। वकील पत्रकारान का मुख्य अग्रोपक तहसीलदार की माल के आदेश दि. 9-10-15 को भुक्त घोषित करने का है। तहसीलदार के आदेश को भुक्त का श्रवण अधिकार व श्रवण अधिकार ही - न्यायालय को न दे है। तहसीलदार की माल का उपाय उपाय उपाय की सहकति का विवेकन किया गया है। वादगत भूमि का कर्तव्य वही प्रतीक विवेकन हो चुका है। वकील पत्रकारान को वाद CPE के प्रावधानों के तहत प्रमाणित नहीं है। प्रतिवामी 0-1-107 का प्रावधान पर 0-7 R-1। प्रमाणित धारा 151 CPE एवी का विवेकन किया गया है। वकील पत्रकारान वकील पत्रकारान का मूल पत्र वी.पी.साहू के विरुद्ध विवेकन किया गया है। पत्रावली प्रस्तावकारान को वाद हेतु उपस्थित है।

उपस्थित अधिकारी